न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/62/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/244

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री हंसराम यादव पुत्र श्री मंगलराम,
नि0 ग्राम–कल्याणपुरा, तहसील–बहरोड, जिला–अलवर
हाल नि. वार्ड नं.3, मु.पो. बनेठी, तहसील–कोटपूतली,
जिला–जयपुर–303105

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 25.05.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 07.06.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांकः 08.04.2022 के माध्यम से तहसीलदार बहरोड के पत्रांकः 198 दिनांकः 03.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत पटवारियान के विरूद्ध की गई कार्यवाही संबंधी बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में अपील के अनुसरण में संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को 15 पृष्ठीय सूचना उपलब्ध कराते हुए इस न्यायालय को प्रति पृष्ठांकित की गई है जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा RTI आवेदन दिनांकः 08.04.2022 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर प्रथम अपील इस न्यायालय को पेश होने उपरान्त सूचित किया है जो उचित नहीं है। प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, कलक्ट्रेट, अलवर द्वारा सूचना आवेदन के क्रम में जारी यूओ. नोट सं. 89 दिनांकः 18.04.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 7095 दिनांकः 18.05.22 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है जो काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, सुनिश्चित किया जावे।
8. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया बिन्दुवार विनिश्चय/प्रदत्त सूचना अधिनियम में वर्णित प्रावधाननुसार उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ **प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) कलक्ट्रेट, अलवर** को भी प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 07.06.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)